

असाधारम् EXTRAORDINARY

সন্ধা II—ছড় 3—রগ-রভর (i) PARI II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹.39]

नई विल्ली, बृहस्पतिबार, जनवरो 24, 1991/माध 4, 1912

No. 39]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 1991/MAGHA 4, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पूछ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकासन को रूप में रखा जा सके

separate. Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

# जल-भूतल पीरवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

**ग्र**धिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 47 (त्र): — महापनन (जलवान के प्रवेग, रुकते, झांबागमन और जिकास का विनियमन) साणेधन नियम, 1990 का प्रारूप, भारतीय पत्तन अधिनयम, 1908 (1908 का 15) की घारा 6 की उपसारा (2) की प्रविभान, भारत सरकार के जल भूनल परित्रहन मजालय को प्रश्चिभूचना सं. सा.का.नि. 629 (प्र), सारीख 10-7-90 के प्रवीन, भारत के राजपन, ग्रामाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सारीख 10-7-90 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सभावना

थीं, उक्त ग्रिष्ठिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की नारीख में पैक्तालीम दिन की सर्वाध की समाप्ति पर या उसके परचात् ग्राक्षेप ग्रीर मुझाव मांगे गए थे;

भीर उन्नय राजपन्न 23 जुलाई, 1990 को जनता को उपलब्ध कम दिया गया था।

भीर जनता से कोई प्राक्षेप या सुभाव प्राप्त नहां हुए हैं,

धतः, भव, केंब्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारा 6 की उपद्याश (1) के खंड (क) द्वारा प्रवास प्रक्रितयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखन नियम क्साती है, अथीत ---

### नियम

- 1. (1) इन नियमो का सक्षिप्त नाम महापत्तन (जलवान के प्रवेण करूने, ब्रावायमन ब्रोर विकास का विनियमन) संशोधन नियम, 1990 है।
  - (2) में राजपन में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2 नियम 3 के उपनियम (1) मे,---
  - (क) खड (इ.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड घंतःस्थ।पित किया आएगा अर्थात् .---
- "(च) यह तस्य कि जलपान की दशा ऐसी है कि उससे प्रदूषकों ग्राप्शिष्टों घृणाजनक या खतरनाक ग्रायवा ग्रन्थ मेंसे ही पदार्थी से पत्तन जल के सदूषित होने की सभायना है।
- (ख) "सामान्य काम पर श्रसर पड़ेगा" शब्दों के पण्चात् निम्निशिकन शब्द ग्रोर परन्तुक जोड़ा आएगा. भयात् :—

"अयका उसमें ऐसे पत्तन जल के संध्यित या प्रवृषित होने की संभावना है :

परन्तु यदि कीई ऐसा जलयान, जिसे उपर्शक्त खंड (च) के स्राधार पर किसी महापत्तन से प्रवेण करने की स्रनुत्रा नहीं दी गई है, विदेशी जलयान है तो सरक्षक, परीग स्टेंट के कॉसल प्रथवा राजमियक प्रतिनिधि का या यदि वह संभव नहीं है तो, संबंधित पीत के प्रणासन को उस परिस्थितियों के बारे से, जिनसे, जलयान को प्रवेश करते की स्रनुत्रा नहीं दी गई है, सूचित करेगा। यदि ऐसी सूचना मीखिक रूप में दी जाती हितों नत्पण्यात् उसकी लिखित रूप में पूटि की जाए।"

[फा.स.पी.पार.-16012/2/89-पी.जी.] अशोक जोगी, संयक्त सचिव

फुटनोटः --मुख्य नियम सा.का.नि. स. 360 (ई) दि. 15 मार्च, 1969 मे प्रकाशित हुए थे।

# MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 1991

G.S.R. 47(E).—Whereas the draft of the Major Ports (Regulation of Entry, Stay, Movement and Exit of Vessels) Amendment Rules 1990, was published as required under sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15)

of 1908) in the Gazette of India-Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (1) dated 10-7-90 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport No. G. S. R. 629 (E), dated 10-7-90, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or after the expiry of forty five days from the date of publication—of the notification—in the official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 23rd July, 1990;

And whereas, no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

#### RULES

- 1. (1) These rules may be called the Major Ports (Regulation of Entry, Sta), Movement and Exit of Vessels) Amendment Rules, 1990.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In sub-rule (1) of rule 3 :--
  - (a) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :-
  - '(f) the fact that the vessel's condition is such, that it is likely to contaminate port waters with pollutants, wastes, obnoxious or hazardous or other such substances."
- (b) after the words "aftect the normal work of the port" the following words and proviso shall be added, namely:—

"or is likely to contaminate or pollute the waters of such port;

Provided that where a vessel which has not been permitted entry into a major port, by virtue of clause (f) above is a foreign vessel, the conservator shall notify the Counsel or diplomatic representative of the flag state or, if this is not possible, the Administration of the ship concerned, of the circumstances in which the vessel has not been permitted entry. If such notification is made verbaily it should be confirmed in writing subsequently."

[F. No. PR-10042<sub>1</sub>2 89-PG] ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note: Principal rules were published in GSR No. 360(E) dt. 15-3-89

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991